पत्रांक –वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांकः–

विषय – **बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में कुल रू० 4,63,00,000.00 (चार करोड़ तिरसठ लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक–469, दिनांक–16.07.2025 के द्वारा स्थापना प्रतिबद्ध–व्यय अन्तर्गत विभिन्न मद यथा– मूल वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, एन०पी०एस० भुगतान, विशेष भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु कुल रू० 4,63,00,000.00 (चार करोड़ तिरसठ लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मॉग संख्या–43 के अन्तर्गत ''मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष –00, लघु शीर्ष –102– तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष –0002– बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, के अधीन **31 04–सहायक अनुदान–वेतन** विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से रू० 4,63,00,000.00 (चार करोड़ तिरसठ लाख रूपये) मात्र विकलनीय होगा, जिसका **विपत्र कोड 43–2203001020002** है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधन 2005) एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के नाम से संचालित पी० एल० खाता सं०–**PNBPLA010** के **Ledger ID-17184** में अंतरित किया जाय।

7. उक्त विमुक्त अनुदानित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना द्वारा राज्य सरकार के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

8. उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन 18 माह के भीतर अनिवार्य रूप से महालेखाकार से किया जाना आवश्यक है।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति (इस संचिका सं०–वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022 के पृ०–88/टि०) से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(कुमार सिद्धार्थ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या – वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या – वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या – वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022 /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–कुलपति/कुलसचिव पदाधिकारी, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व में विमुक्त सहायक अनुदान के विरूद्ध लंबित उपयोगिता–प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि इसका सामंजन शीघ्र कराया जा सके।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या – वि० प्रा० (IV) यो0–24/2022 – 5394 **/पटना, दिनांकः–** 06.10.25

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव